Government of India
Ministry of Railways
Railway Board)

No. 99/RS(G)/709/1 Pt iii New Delhi, dated 18.5.2012

The General Manager, All Indian Railways & PUs including NF(C).
The General Manager, CORE, Allahabad.
The General Manager, Metro Railway, Kolkata.
The Director General, RDSO, Lucknow & Railway Staff College, Vadodara.
CAO/Workshop Projects organisation, 1st Floor, Chamber Bhawan, J.C. Road, Patna
CAO/DMW, Patiala and COFMOW, New Delhi.
CAO/MTP, Mumbai and Chennai.
CAO,RCF/RBL/ Old TA Building , Kishan Ganj, Delhi.

Sub: Ordering on approved sources in Part-II

A doubt has been raised by one or two Zonal Railways, that in cases where more than one Part II sources are within zone of consideration on the basis of competitive price ranking, whether an offer from a Part II source, though not L1 amongst Part II sources and has no proven past performance, can be considered for ordering within overall limit of 25% reserved for Part II Sources, on the basis of competitiveness of its offer in comparison to Part I sources.

It is clarified here that there is no bar on ordering on Part II sources that are not ranked L1 amongst Part II sources, so long as there is no adverse performance report about the firm. In fact, this practice is already prevalent on many Railways where such offers are being considered. The very fact that a firm has been granted Part II status means that it has requisite credentials which have been checked by an agency responsible for vendor approval. Denial of orders to such a Part II source, merely on the ground that it has no past performance will not be proper, since it has quoted more competitive offer than Part I sources. Surely, a Part II source is on a much higher pedestal than a developmental source that can be considered for ordering upto 5% on verification of capacity-cum-capability. It should be kept in mind that a new Part II entrant can show its performance only when it is given an opportunity to do so.

This clarification is issued to ensure uniformity in approach by various Railways and Production Units.

Please acknowledge the receipt of this letter.

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)
Dy. Director, Rly.Stores(G)I
Railway Board

रेल मंत्रालय
Ministry of Railways

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 99/आरएस (जी)/709/1 पार्ट iii नई दिल्ली, दिनांक: 18 .05.2012

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा (निर्माण) सहित।
महाप्रबंधक, कोर, इलाहाबाद।
महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, कोलकाता।
महानिदेशक, अ.अ.मा.स. लखनऊ एवं रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वर्कशाप परियोजना संगठन, प्रथम तल, चैम्बर भवन, जे.सी. रोड, पटना।
मु.प्र.अ./डीजल आधुनिकीकरण कारखाना, पटियाला एवं कॉफमो, नई दिल्ली।
मु.प्र.अ./एमटीपी, मुंबई तथा चेन्नई।
मु.प्र.अ./रेल कोच फैक्टरी /आरबीएल, पुरानी टी ए बिल्डिंग, किशनगंज, दिल्ली ।

विषय:- भाग -II में अनुमोदित स्त्रोतों को आदेश देना।

कुछेक रेलों ने संदेह व्यक्त किया है कि ऐसे मामलों में जहां प्रतिस्पर्धी कीमत रैंकिंग के आधार पर भाग II में एक से अधिक स्त्रोत विचारार्थ जोन में आते हों उनमें क्या भाग- I स्त्रोत की तुलना में प्रस्ताव की प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर भाग -II के लिए आरक्षित 25 % की समग्र सीमा के अंतर्गत भाग - II स्त्रोत के किसी ऐसे प्रस्ताव पर आदेश देने के लिए विचार किया जा सकता है, जो भाग-II स्त्रोतों में एल-1 के अंतर्गत न आता हो और जिसका विगत का कोई प्रमाणिक कार्यनिष्पादन भी न हो।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे भाग-II स्त्रोतों जो भाग-II स्त्रोतों के अंतर्गत एल-1 में न आते हों, उन्हें उस स्थिति को छोड़कर जब फर्म के बारे में कोई प्रतिकूल कार्यनिष्पादन रिपोर्ट हो, आदेश देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वास्तव में यह व्यवस्था बहुत सी रेलों पर पहले ही मौजूद है, जहां इस प्रकार के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। यह तथ्य कि फर्म को भाग - II स्थिति प्राप्त है, का आशय यह है कि उसको अपेक्षित विश्वसनीयता हासिल है, जिसकी एक ऐसी एजेंसी ने जांच की है, जिसकी जिम्मेवारी वेंडर अनुमोदित करने की है। केवल इसी आधार पर कि इसके पास कोई विगत का निष्पादन का प्रमाण नहीं है ऐसे भाग- II स्त्रोत को आदेश न देना, उचित न होगा, क्योंकि उसने भाग-I स्त्रोतों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव कोट किया है। निश्चित तौर पर भाग -II स्त्रोत, विकासात्मक स्त्रोत से उच्चतर सोपान में होता है, जिसे क्षमता एवं योग्यता का सत्यापन के आधार पर 5% तक आदेश देने पर विचार किया जा सकता है। यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि भाग - II में नई शामिल फर्म अपना कार्य निष्पादन तभी प्रदर्शित कर सकती है जब उसे ऐसा करने का अवसर दिया जाए।

इसे विभिन्न रेलवे तथा उत्पादन इकाइयों द्वारा अपनाए जा रहे कार्यपद्धति में एक समानता सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जा रहा है।

कृपया पावती दें।

संतोष मित्तल
(संतोष मित्तल)
उप निदेशक रेलवे भंडार (जी) I
रेलवे बोर्ड.

STORES-RS (G)